निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 842) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-24/2026-3318 वि०स०—''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–21 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-18/2026]

बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज पंजीकरण अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में, बिहार राज्य के विधानमंडल निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–

(1) इस विधेयक को 'बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा–2 का संशोधन ।– बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज पंजीकरण अधिनियम, 1935 (जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 में उप–धारा (l) के बाद निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जायेगी, जो इस प्रकार है :–

''(m) स्व–प्रमाणन का अर्थ है भारतीय नर्सिंग परिषद या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक, दाई, प्रशिक्षित दाई द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।''

अध्याय–2

3. एक नई धारा 10A का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा, 10 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी जो इस प्रकार हैः–

''10A–स्व–प्रमाणन के आधार पर अभ्यास करने हेतु–

(1) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक, दाई, प्रशिक्षित दाई जिसका नाम भारतीय नर्सिंग परिषद् या किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद् के रजिस्टर में वैध रूप से पंजीकृत है, बिहार राज्य में कानूनी रूप से नर्सिंग अभ्यास करने की हकदार होगी, बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य नर्सिंग परिषद् से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के, बशर्ते कि वह परिषद् को स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करे।''

(2) परिषद् स्व–प्रमाणन के आधार पर राज्य में कार्यरत नर्सों, स्वास्थ्य आगन्तुकों और दाईयों से संबंधित एक रजिस्टर का संकलन करेगी।

(3) परिषद् को स्व–प्रमाणन मॉडल के तहत काम करने वाले किसी भी कर्मी के बिहार राज्य के भीतर अभ्यास करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा, यदि वह पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है।

(4) जहाँ किसी कार्मिक के अभ्यास का अधिकार इस धारा की उपधारा (3) के तहत निलंबित किया जाता है, तो ऐसे निलंबन को इस धारा की उपधारा (2) के तहत संधारित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और मूल विभाग या राज्य नर्सिंग परिषद् या भारतीय नर्सिंग परिषद् को सूचित किया जायेगा।

बशर्ते कि इस धारा के स्व–प्रमाणन प्रावधानों के तहत राज्य में वैध रूप से अभ्यास करने वाली कोई भी नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक या दाई को इस अधिनियम की धारा–21 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक या दाई माना जायेगा।

4. धारा–17 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (2) में, विद्यमान खण्डों के अंत में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, जो इस प्रकार हैः–

(f) किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद् या भारतीय नर्सिंग परिषद् में पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों द्वारा स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित होगी।

5. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (अध्यादेश सं0–02, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उदेश्य एवं हेतु

वर्तमान में बिहार राज्य एवं किसी अन्य राज्य से आने वाले नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक, दाई, एवं प्रशिक्षित दाई के पंजीकरण हेतु बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज पंजीकरण अधिनियम, 1935 गठित है।

उक्त अधिनियम के तहत किसी भी नर्स एवं अन्य को बिहार राज्य में अभ्यास करने हेतु बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में उधोग एवं आंतरिक व्यापार एवं संवर्धन विभाग (डी0पी0आई0आई0टी0), भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना, 2024 के दूसरे चरण के प्राथमिकता क्षेत्र 19 (पी0ए0–19) के अन्तर्गत नीतिगत सुधारों को अनिवार्य किया है। इसका उदेश्य PA-19-To Simplify Medical Practitioners Registration/NOC across State के तहत किसी भी राज्य के चिकित्सा परिषद् या राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत चिकित्सक/नर्स/तकनीशियन को बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य नर्सिंग परिषद् से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्व–प्रमाणन के आधार पर राज्य में कानूनी रूप से अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

उक्त निदेश के आलोक में किसी भी अन्य राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली वैसे नर्स जिनका पंजीकरण देश के किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद् में किया गया हो, को बिहार राज्य में नर्सिंग अभ्यास करने हेतु स्थानीय नर्सिंग परिषद् पंजीकरण कराने तथा पूर्ववर्ती राज्य नर्सिंग परिषद् से अनापति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते की उनके द्वारा स्व–प्रमाणन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

इस हेतु बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

(निशांत)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–21.07.2026

प्रभारी सचिव,
बिहार विधन सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 842-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in